REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 7 | APRIL - 2024

'' अनुसूचित जाति एवं जनजाति के माध्यमिक स्तर के आवासीय विद्यालयों तथा गैर आवासीय विद्यालयों के छात्राओं के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन''
(रीवा जिले के संदर्भ में)

श्रीमती निशी पाण्डेय एवं डॉ. पंकजनाथ मिश्रा

सारांश :–

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण हेतु विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाएं प्रमुख है। दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय एवं अनुसूचित जाति के विधार्थियों को शिक्षा सुविधा देने के लिये आश्रम शालाएं, आवासीय विद्यालय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। आश्रम शाला, विद्यालय एवं आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन का उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, नेतृत्व क्षमता का विकास तथा शाला त्यागी (ड्रॉप आउट) दर को कम करना है। साथ ही साथ शैक्षणिक उपलब्धि में उत्तरोत्तर विकास करना है। साथ ही विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ उनके अधिगम स्तर को भी प्रभावित करता है। आवासीय विद्यालय का वातावरण एवं गैर आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं को मिलने वाले वातावरण एवं सुविधा का अधिगम स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस शोध पत्र में यह प्रदर्शित करने का प्रयास शोधार्थी द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य शब्द :– विभागीय कार्यक्रम, आश्रम, ड्रॉप आउट, आवासीय विद्यालय।

प्रस्तावना :–

भारत में प्रत्यक्ष सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साधन के रूप में शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। विद्यालयों पाठयचर्या और शिक्षण पद्धति को हर बच्चे के अधिगम और उसके मुक्त, सर्जनात्मक एवं बहुआयामी विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो संस्कार और अनुभव विद्यालय तक लाते है, उसे सभी बच्चों के लिए सार्थक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए समतावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य भाग होना आवश्यक है।

बालक शिक्षार्जन के लिए घर से दूर जाकर छात्रावास में रहकर अध्ययन कार्य करता है। छात्रावास में बालकों को अपने परिवार के वातावरण से भिन्न वातावरण मिलता है। छात्रावास के वातावरण का प्रभाव बालक के व्यवहार, समायोजन और शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। यदि वातावरण समुचित होगा तो बालक के व्यवहार में सौम्यता, समायोजन, शैक्षिक उपलब्धि स्तर व अध्ययन आदतें भी श्रेष्ठ होगी।

शोधार्थी द्वारा इस शोध विषय का चयन इसलिए किया गया है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि छात्रावास आवासीय में रहने वाले छात्राओं पर छात्रावास के वातावरण का उनके अधिगम स्तर पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तथा गैर आवासीय छात्राओं का अधिगम स्तर किस प्रकार का प्रभाव है। इसका तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस करती है।

पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण :–

किसी भी शोध कार्य को सोदेश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गए अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आश्रम/छात्रावास सुविधाओं का अधिगम स्तर पर प्रभाव का अध्ययन से संबंधि पूर्व शोध अध्ययनो के विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – कपिल, सच के (1996)[1], कुमार, प्रमिला (1992)[2], कौल लोकेश (1998) प्रसाद, गोमती (2004)[3] तिवारी, डॉ. रंजना (2016)[4] निगम, श्रीमती अमलेन्दु किस (2016)[5]

अध्ययन की आवश्यकता :–

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासी छात्राओं हेतु विभिन्न शैक्षणिक योजनाएं शासन द्वारा चलाई जा रही है। छात्रावास में रहकर उनके उत्तम चरित्र का निर्माण करना एवं उच्च शिक्षा तक पहुंचाना है। यदि छात्रावास का वातावरण शिक्षा एवं अधिगम स्तर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो निश्चित रूप से गैर छात्रावासी छात्रों की तुलनात्मक अवस्था में अधिक अच्छे चरित्रवान छात्रों का निर्माण होगा। शोधार्थी गैर छात्रावासी एवं आवासीय छात्राओं के अधिगम स्तर में तुलनात्मक अध्ययन करके देखना चाहती है कि छात्रावास का वातावरण सकारात्मक रूप से अधिगम स्तर को प्रभावित करता है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

- आदिम जाति की छात्राओं के छात्रावास के वातावरण का अध्ययन करना।
- आवासीय तथा गैर आवासीय विद्यालय के वातावरण का तुलनात्मक अध्ययन करना। ।
- छात्रावासी छात्राओं एवं गैर छात्रावासी छात्राओं के अधिगम स्तर में प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :–

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के माध्यमिक स्तर के आवासीय विद्यालयों एवं गैर आवासीय विद्यालयों के छात्राओं के अधिगम स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

परिसीमाए :–

- शोध का क्षेत्र रीवा नगर की राजस्व सीमा तक परिसीमित किया जाएगा। परिसीमित क्षेत्र में आठ आदिम जाति/जनजाति कन्या छात्रावासों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।
- विषयवस्तु के परिसीमन में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास (कन्या) में शैक्षिक वातावरण और सुविधाओं तक सीमित किया गया है।
- विषय वस्तु के परिसीमन में अनुसूचित जाति/जनजाति की माध्यमिक स्तर की छात्राओं तक परिसीमित है।

उपकरण :–

शोध कार्य लिए तत्वों को एकत्र करने के लिए विभिन्न शोध उपकरणों की आवश्यकता होती है। परिशुद्धता वस्तुपरक एवं विश्वसनीय आंकड़ों के संकलन के लिए साक्षात्कार प्रपत्र, अवलोकन प्रपत्र, परीक्षाफल पत्रक का प्रयोग किया गया है।

विधि एवं योजना :–

शोधार्थी का कार्य क्षेत्र व्यापक है एवं समय का अभाव है, इसलिए संपूर्ण क्षेत्र में न्यादर्श सर्वेक्षण विधि का उपयोग करके शोध कार्य को पूरा करने का प्रयास किया है।

शोध क्षेत्र का परिचय :–

रीवा जिले का क्षेत्रफल 6240 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा की जनसंख्या 2363744 लाख और घनत्व 3801 वर्ग किमी व्यक्ति है। रीवा जिला भारत के राज्यों के एकदम मध्य में स्थित मध्यप्रदेश राज्य में है। रीवा मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्तर पूर्वी भाग में है, फिर भी इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती है, उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व तक रीवा $24^0 53'$ उत्तर $81^0 3'$ पूर्व के बीच स्थित है। रीवा की समुद्रतल से ऊंचाई 304 मीटर है। रीवा भोपाल से 489 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ प्रादेशिक राजमार्ग 14 और राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर है और भारत की राजधानी दिल्ली से 804 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर है।

सांख्यकीय विश्लेषण :–

शोधार्थी ने शोध पत्र में आदिवासी जाति एवं जनजाति छात्रावासी बालिकाओं की सुविधाओं, शासन की योजनाओं की वास्तविक स्थिति के अध्ययन हेतु शोध उपकरणों की सहायता से आंकड़ों को एकत्र कर उनका सारणीयन कर विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा वस्तु स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की है।

सारणी क्रमांक :–

छ$_1$	ड$_1$	$_1$	छ$_2$	ड$_2$	$_2$
50	62.4	15.84	50	34	23.34

'T' की गणना

$$T = \frac{|m_1 - m_2|}{\sqrt{\frac{{}_1^2}{N_1 - 1} + \frac{{}_2^2}{N_2 - 1}}}$$

$$T = \frac{162.4 - 34.01}{\sqrt{\frac{(15.84)^2}{50-1} + \frac{(23.34)^2}{50-1}}}$$

$$T = \frac{28.4}{\sqrt{\frac{251.2 + 544.7}{49}}}$$

$$T = \frac{28.4}{\sqrt{\frac{795.97}{49}}} = \frac{28.4}{16.2}$$

$$T = \frac{28.4}{4.0} = 7.1$$

स्वतंत्रता की कोटि df = $(N_1-1) + (N_2-1)$
= (50-1) + (50-1)
= 49 + 49
= 98

विश्लेषण :–

शोधार्थी द्वारा उपलब्धि परीक्षण पत्रक के माध्यम से आदिवासी छात्रावासी कन्याओं के 50 छात्राओं तथा गैर आवासीय छात्राओं (अन्य स्कूल में) के 50 छात्राओं का परीक्षण किया, जिसके परिणाम क्रमशः तालिका में दर्शाए गए है। तथा 'T' परीक्षण के माध्यम से उपलब्धि की गणना की गई है। गणना से प्राप्त 'T' का मान 7.1 है।

व्याख्या :–

't' जमेज की तालिका से स्वतंत्रता की कोटि 98 के लिये 0.05 विश्वास स्तर पर 't' का मान 1.98 है तथा 0.01 विश्वास स्तर पर 't' का मान 2.63 है। गणना से प्राप्त 't' का मान दोनों ही विश्वास स्तर पर दिये गये मानक मान से अधिक है। अतः 't' का प्राप्त मान गणनीय है, जो कि छात्रावासीय छात्राओं के अधिगम स्तर के पक्ष में है। अतः हमारी Ho शून्य परिकल्पना निरस्त होती है एवं छात्रावासीय छात्राओं के उच्च अधिगम स्तर की व्याख्या करती है।

निष्कर्ष :–

अनुसूचित जाति एवं जनजातीय छात्राओं आवासीय एवं गैर आवासीय छात्राओं के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसके पश्चात निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए –

- शोध क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजातीय के माध्यमिक स्तर के आवासीय एवं गैर आवासीय छात्राओं के अधिगम स्तर में सार्थक अंतर है।
- छात्रावास में रहने वाली छात्राओं का अधिगम स्तर गैर छात्रावासी छात्राओं के अधिगम स्तर से अधिक अच्छा है।

संदर्भ :–

- कपिल, एच.के. सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 1992
- कुमार, प्रमिला म.प्र. भौगोलिक सर्वेक्षण म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल 1992
- कौल, लोकेश शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली 1998
- प्रसाद, गोमती "रीवा संभाग की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक–बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन" पी.एच.डी. (शिक्षा) APSU Rewa (MP) 2004